

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान रती राम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या 21/2025

निर्णय दिनांक 09/06/25

रती राम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगटिया चारणान तहसील तारानगर
जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-:निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा गोगटिया पट्टा चंगोई पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 178 खसरा सं. 199 तादादी 1.4668 हैक्ट, खसरा नं. 284/204 तादादी 1.5174, खसरा नं. 285/202 तादादी 2.9210 हैक्ट राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 रोही गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर में कम्प्यूटर टाईप की गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी प्रार्थी का नाम रतनाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज हो गया, जो गलत है। जिसका पता प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में से जमाबंदी निकलवाने पर हुआ। जबकि प्रार्थी का सही नाम रती राम पुत्र रामचन्द्र है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थी जमाबंदी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना-पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा गोगटिया पट्टा चंगोई पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 178 खसरा सं. 199 तादादी 1.4668 हैक्ट, खसरा नं. 284/204 तादादी 1.5174, खसरा नं. 285/202 तादादी 2.9210 हैक्ट में प्रार्थी का नाम रती राम पुत्र रामचन्द्र किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम रतनाराम व रती राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम रती राम पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम रती राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रतनाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि गोगटिया पट्टा चंगोई पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 178 खसरा सं. 199 तादादी 1.4668 हैक्ट, खसरा नं. 284/204 तादादी 1.5174, खसरा नं. 285/202 तादादी 2.9210 हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रतनाराम Delete कर इसके स्थान पर रती राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलिय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/06/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



Rajendra Kumar
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)